

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या-193/12/भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या-194/12/भीलवाड़ा.
3. अपील संख्या-195/12/भीलवाड़ा.
4. अपील संख्या-196/12/भीलवाड़ा.
5. अपील संख्या-199/12/भीलवाड़ा.
6. अपील संख्या-200/12/भीलवाड़ा.
7. अपील संख्या-203/12/भीलवाड़ा.

मैसर्स राकेश राज जैन, भीलवाड़ा	....अपीलार्थी (अपील संख्या-193/12).
मैसर्स शोकत खान, शाहपुरा, भीलवाड़ा	....अपीलार्थी (अपील संख्या-194/12).
मैसर्स लादूराम सैन, बच्छखेड़ा, भीलवाड़ा	....अपीलार्थी (अपील संख्या-195/12).
मैसर्स कालिका कंस्ट्रक्शन, भीलवाड़ा	....अपीलार्थी (अपील संख्या-196/12).
मैसर्स विजय बोरवेल, भीलवाड़ा	....अपीलार्थी (अपील संख्या-199/12).
मैसर्स श्यामसुन्दर नुवाल, भीलवाड़ा	....अपीलार्थी (अपील संख्या-200/12).
मैसर्स ब्रह्माणी कंस्ट्रक्शन एण्ड कं0, भीलवाड़ा	....अपीलार्थी (अपील संख्या-203/12).

### बनाम

1. वाणि. कर अधि, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा.
  2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा
- ....प्रत्यर्थीगण सभी अपीलों में.

### एकलपीठ


श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

कोई नहीं (लिखित बहस प्राप्त) .....अपीलार्थीगण की ओर से.  
श्री आर. के. अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी (राजस्व) की ओर से.  
निर्णय दिनांक : 29/09/2016

### निर्णय

1. यह सातों अपीलों अपीलार्थी व्यवहारियों ने अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 236, 235, 237, 232, 242, 111 व 250/वैट/2010-11/भीलवाड़ा में पारित किये गये आदेश दिनांक क्रमशः 03.01.2012, 20.12.2011, 19.12.2011, 03.01.2012, 02.01.2012, 01.12.2011 व 02.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों के द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के निम्न तालिका में अंकित कर निर्धारण वर्ष के लिये पारित आदेश के विरुद्ध तालिका में अंकित बिन्दु, जिनके संबंध में अपील अस्वीकार/प्रतिप्रेषित की गई है, को विवादित किया गया है।



लगातार.....2

अपील संख्या	अपी. प्राधि. की अपील संख्या व आदेश दिनांक	कर निर्धारण वर्ष / आदेश दिनांक	अपीलीय निर्णय	कर बोर्ड में प्रस्तुत अपील में विवादित बिन्दु				
				1	2	3	4	5
193 / 12	236 / 2010-11, 03.01.2012	2007-08, 01.11.2010	अपील आंशिक अस्वीकार तथा आंशिक प्रतिप्रेषित	धारा 3(2) की खरीद पर करारोपण रू. 8,197 / - , अपी. अधि. द्वारा अपील अस्वीकार	वेट चुकाकर की गई खरीद में वृद्धि राशि रू. 18,742, अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित	वेट 39 चुकाकर की गई खरीद की समायोजन राशि रुपये 1,426 / -	रिटर्न लेट प्रस्तुती की राशि रू. 2,000 / - , अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित	
194 / 12	235 / 2010-11, 20.12.2011	2008-09, 01.06.2010	प्रकरण प्रतिप्रेषित		वेट चुकाकर की गई खरीद में वृद्धि राशि रू. 6,432 / - , अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित	वेट 39 चुकाकर की गई खरीद की समायोजन राशि रुपये 1,860 / -	रिटर्न लेट प्रस्तुती की राशि रू. 2,000 / - , अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित	
195 / 12	237 / 2010-11, 19.12.2011	2006-07, 09.09.2010	आंशिक अस्वीकार तथा आंशिक प्रतिप्रेषित	धारा 3(2) की खरीद पर करारोपण रू. 4,430 / - अपी. अधि. द्वारा अपील अस्वीकार		वेट 39 चुकाकर की गई खरीद की समायोजन राशि रू. 3,320 / - अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित	रिटर्न लेट प्रस्तुती की राशि रुपये 2,000 / - , अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित	
196 / 12	232 / 2010-11, 03.01.2012	2006-07, 05.10.2010	आंशिक अस्वीकार तथा आंशिक प्रतिप्रेषित	धारा 3(2) की खरीद पर करारोपण रू. 152 / - अपी. अधि. द्वारा अपील अस्वीकार	वेट चुकाकर की गई खरीद में वृद्धि राशि रुपये 24,640 / - , अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित	वेट 39 चुकाकर की गई खरीद की समायोजन राशि रुपये 32,960 / - अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित	रिटर्न लेट प्रस्तुती की राशि रुपये 2,000 / - , अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित	
199 / 12	242 / 2010-11, 02.01.2012	2007-08, 02.11.2010	आंशिक अस्वीकार तथा आंशिक प्रतिप्रेषित	धारा 3(2) की खरीद पर करारोपण रू. 8,327 / - अपी. अधि. द्वारा अपील अस्वीकार	वेट चुकाकर की गई खरीद में वृद्धि राशि रुपये 8,040 / - , अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित		रिटर्न लेट प्रस्तुती की राशि रुपये 2,000 / - , अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित	
200 / 12	111 / 2010-11, 01.12.2011	2007-07, 29.03.2010	आंशिक अस्वीकार तथा आंशिक प्रतिप्रेषित	अपंजीकृत व्यवहारी से खरीदे माल पर करारोपण रू. 1,875 / - अपी. अधि. द्वारा अपील अस्वीकार	वेट चुकाकर की गई खरीद में वृद्धि राशि रुपये 1,111 / - , अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित		रिटर्न लेट प्रस्तुती की राशि रुपये 2,000 / - , अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित	इसी कार्य में प्रयुक्त 30 प्रति. लेबर राशि रू. 3,891 की छूट अपील अस्वीकार
203 / 13	250 / 2010-11, 02.01.2012	2006-07, 09.09.2010	आंशिक अस्वीकार तथा आंशिक प्रतिप्रेषित	धारा 3(2) की खरीद पर करारोपण रू. 6,038 / - अपी. अधि. द्वारा अपील अस्वीकार	वेट चुकाकर की गई खरीद में वृद्धि राशि रू. 12,235 / - , अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित	अपंजीकृत व्यवहारी से खरीदे माल पर आईटीसी करारोपण रू. 7,300, अपील अस्वीकार	रिटर्न लेट प्रस्तुती की राशि रू. 2,000 / - , अपी. अधि. द्वारा प्रतिप्रेषित	

हस्ताक्षर

लगातार.....3

2. इस सभी प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान प्रकृति का निहित होने के कारण सभी अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाता है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ठेकेदारी का कार्य किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान ई.सी. से समर्थित एवं बिना ई.सी. समर्थित संविदा कार्य निष्पादित किये गये हैं। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण के आलौच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम के तहत पारित करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किये गये हैं :-

(i) अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा निष्पादित किये गये संविदा कार्यों में प्रश्मन के अधीन धारा 3(2) में पंजीकृत व्यवहारियों से खरीदे गये माल पर वेट पेड की छूट नहीं दी गई, इसी प्रकार अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीदे गये माल पर भी करारोपण किया गया है।


(ii) अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा संविदा कार्यों के निष्पादन हेतु क्रय किये गये माल यथा आयरन, स्टील व सीमेंट की खरीद में लाभांश व खर्च जोड़ते हुए 4/12.5 प्रतिशत की दर से वैट का आरोपण किया गया।

(iii) अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा संविदा कार्यों के निष्पादन हेतु बजरी व पत्थर की खरीद वैट-39 के जरिये की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट-39 के जरिये चुकाये गये कर को अस्वीकार किया जाकर विहित दर से करारोपण किया गया तथा वैट-39 से चुकाये गये कर का समायोजन नहीं दिया गया।

(iv) अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 2,000/- का आरोपण किया गया।

(v) अपील संख्या 200/2012 में अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा निष्पादित किये गये संविदा कार्यों में मजदूरी की राशि को कम नहीं किया जाकर सम्पूर्ण संविदा राशि पर ई.सी. शुल्क का आरोपण किया गया है।

4. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा उपरोक्त पैरा 1 में अंकित कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपीलें अपीलीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त तालिका में अंकित निर्णय के अनुसार निस्तारित की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये अपीलीय आदेश में से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।



5. अपीलार्थी व्यवहारीगण की ओर से श्री एम.पी.शर्मा, कर सलाहकार, के लेटर पैड पर लिखित बहस प्रेषित की गई तथा उसमें उल्लेख किया गया कि इन बिन्दुओं पर कर बोर्ड के निर्णय हो चुके हैं अतः लिखित बहस प्रस्तुत की जा रही है इसको हमारी उपस्थिति मानते हुए आदेश पारित करावें। लिखित बहस का अवलोकन किया गया। लिखित बहस में निम्नानुसार लिखा गया है :-

“यह कि उपायुक्त अपील महोदय द्वारा जो आदेश दिया गया जिसमें प्रतिप्रेषित बिन्दु पर पुनः विशिष्ट नोटिस देकर सुनवाई करन हेतु आदेश प्रदान किये गये हैं।

इस सन्दर्भ से अपीलार्थी का निवेदन है कि विवादित मामला कर निर्धारण वर्ष --2007-08--का है जिसका वर्ष सुनवाई का विशिष्ट नोटिस अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि कर निर्धारण की समय सीमा 2 वर्ष ही है अतः मामला दिनांक --31.03.2010-- को ही समय सीमा समाप्त होने से अब नोटिस देकर किया गया आदेश कोई अस्तित्व नहीं रखता। इस सन्दर्भ में राजस्थान कर बोर्ड अजमेर का निर्णय 338/99 व 339/99 कर निर्धारण वर्ष 93-94 एवं 94-95 वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त बारां बनाम मैसर्स केसरी मल रतन लाल छबड़ा का निर्णय दिनांक 25.11.2002 केस का निर्णय का सारांश इस प्रकार है।

वाद ग्रस्त कर निर्धारण आदेश 93-94 एवं 94-95 से सम्बन्धित है व धारा 10(बी)(1)(1) के अनुसार कर निर्धारित आदेश कर निर्धारण वर्ष की समाप्ती से 3 वर्ष के भीतर पारित किया जाना आवश्यक है। मौजूदा प्रकरणों में कर निर्धारण वर्ष को समाप्त हुए 6-7 वर्ष से अधिक का समय हो जाने से व कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने की अवधि समाप्त हो जाने से प्रकरण अब प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता इसी निर्णय में मीठा लाल ओमप्रकाश में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मयाद समाप्त हो जाने के पश्चात प्रकरण को प्रतिप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए।

केसरी मल रतन लाल छबड़ा का कर निर्धारण वर्ष 93-94 का 26.07.96 व 94-95 का 26.07.96 को पारित किया गया था उपायुक्त (अपील्स) कोटा का आदेश 10.08.98 को पारित किया गया था कर निर्धारण 3 वर्ष के भीतर-2 किया गया जो समय सीमा में ही है लेकिन कर निर्धारण की समय सीमा 3 वर्ष होने से अधिक आरोपित कर व ब्याज हेतु विशिष्ट नोटिस कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश 26.07.1996 को नहीं दिये गये तो अपील अधिकारी क्रमशः 31/03/97 व 31/03/1998 के बाद प्रतिप्रेषित विशिष्ट नोटिस देकर सुनवायी हेतु नहीं किये जा सकते हैं।



इस सन्दर्भ में अन्य निर्णय :-

(1) ARBIND & COMPANY V/S THE STATE OF RAJASTHAN  
AND OTHERS 18/01/1979

(2) CTO Ajmer v/s Kistoor Mal Gulab Chand 25/03/1992

अपीलार्थी प्रकरण वैट एक्ट लागू होने के बाद है राजस्थान वेल्यु एडेड  
टैक्स 2003 के अन्तर्गत प्रार्थी का कर निर्धारण धारा 24 के अन्तर्गत  
पारित किया गया था।

धारा 24 निम्न प्रकार है।

**Sec. 24-** (1) Every return furnished by a registered dealer shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Commissioner, to verify, its correctness and if any error is detected, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall serve a notice in the prescribed form on the dealer to rectify the errors and file a revised return within such period as may be specified therein."

**Rule 48-** Granting opportunity of hearing and recording of reasons,-  
Where an assessing authority or any other officer, enhances the admitted tax liability of a dealer, or imposes a penalty on him or on any other person under the provisions of the Act or the Rules, or passes any order detrimental to their interest, the said authority or officer shall record the reasons thereof, and no such order shall be passed unless the dealer or the person has been given a reasonable opportunity of being heard.

**Rule 49-** Form of summons or notice. For affording an opportunity of being heard under rule 48 or for initiating any action under any provisions of the Act or the Rules, or for the production of a document or for furnishing any information or for the appearance of any person, a summons or notice shall be issued in Form VAT-14.

**Rule 50-** Mode of service. (1) The service of any summons, notice or order under the Act or the Rules may be effected in any one of the following ways, namely,

(a) by giving or tendering the copy thereof to the person addressed or his declared business manager or his authorized representative or to any person, other than an independent service provider, who submits or files documents on behalf of such person or dealer; or

(b) if the persons mentioned in clause (a) can not be easily found, by giving or tendering a copy thereof to an adult member of his family; or



लगातार.....6

(c) if the address of such person is known to the authority concerned, by sending a copy thereof by registered post or through an electronic device, or

(d) if none of the modes aforesaid is practicable, by affixation of a copy thereof in some conspicuous place at his last known place of business or residence, or by publishing in a State level newspaper.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in respect of a dealer or a person, the service of any summons, notice or order under the Act or the Rules may be effected by sending the contents of such summons, notice or order as the case may be, to the dealer or to his declared business manager or to his authorized representative, through an e-mail address provided by the dealer or the person, and such service shall be deemed to be a valid service on such dealer or person.

3. उक्त प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी जी को अतिरिक्त कर देयता निर्धारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना बाध्यकारी था परन्तु विद्वान कर निर्धारण अधिकारी जी ने मनमाने ढंग से सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अतिरिक्त करदेयता निर्धारित कर दी जो उक्त प्रावधानों के तहत अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से अब अपास्त योग्य है।

विद्वान उपायुक्त (अपील्स) ने भी कर निर्धारण अधिकारी जी के लिये उक्त बाध्यकारी प्रावधानों को नजरअन्दाज करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया जो अपास्त योग्य है।

4. कि विद्वान कर निर्धारण अधिकारी जी ने अपीलार्थी के प्रकरण में अतिरिक्त करारोपण से पूर्व वैट नियम 2006 के नियम 48 व 49 के तहत सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए कर निर्धारण आदेश के निष्पादन की समयावधि में कोई नोटिस जारी नहीं किया। नोटिस जारी नहीं करने की पुष्टि कर निर्धारण आदेश से स्पष्ट होती है।

5. कि विद्वान उपायुक्त(अपील्स) ने अपने अपील निर्णय में सुनवाई का अवसर दिये बगैर आरोपित शास्ति के बिन्दु पर भी प्रकरण को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया।


6. इसी प्रकार विद्वान उपायुक्त (अपील्स) ने अपने अपील निर्णय में शास्ति आरोपण के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी जी को सुनवाई का अवसर देते हुए शास्ति आरोपण के बिन्दु पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया।



लगातार.....7

7. उक्त वैट नियम 2006 के नियम 48 व 49 के प्रावधानानुसार अतिरिक्त करारोपण व शास्ति आरोपण से पूर्व अपीलार्थी को उचित अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस कर निर्धारण आदेश के निष्पादन की समयावधि में जारी किया जाना चाहिये था परन्तु विद्वान कर निर्धारण अधिकारी जी ने उक्त प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त करारोपण व शास्ति आरोपण से पूर्व कर निर्धारण आदेश के निष्पादन की समयावधि में कोई भी नोटिस जारी नहीं किया। इन निर्णयों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों में जितना भी वैट कर निर्धारण अधिकारी जी ने बिना नोटिस दिये आरोपित किया गया वो अवैधानिक है सो नियमानुसार प्रार्थी के सभी बिन्दुओं को स्वीकार फरमाये हुए प्रार्थी की जमा करायी गयी राशि लौटाने के आदेश प्रदान करावें।”
6. प्रत्यर्थी विभाग कि ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया।
7. अपीलार्थी की लिखित बहस सहित दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।
8. संकर्म संविदा के तहत कार्य निष्पादन करने वाले ठेकेदारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 के द्वारा संकर्म संविदा में कार्यरत पंजीकृत व्यवहारियों को उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले संकर्म संविदा में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर उद्ग्रहण करने से अधिसूचना में विहित शर्तों के आधार पर कर से मुक्ति दी गई है। व्यवहारी ठेकेदार के द्वारा कर दायित्व का भुगतान मुक्ति शुल्क के रूप में किये जाने का विकल्प लिये जाने पर मुक्ति शुल्क की राशि इस हेतु घोषित ठेके की राशि पर ही अधिसूचना में विहित दर से मुक्ति शुल्क उद्ग्रहणीय है। व्यवहारी द्वारा विकल्प लिये जाने के पश्चात उसमें शामिल मजदूरी राशि को घटाने का तर्क देना अधिसूचना के तहत अनुज्ञेय नहीं है।
9. अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.8.2006 का बिन्दु संख्या 5 एवं तालिका के कॉलम 1, 2 व 3 निम्न प्रकार है :-

In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, **hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods** (Whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract(s) **subject to the following conditions, namely:-**



(5) that such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Column 3 of the list given below in the following manner :-

(i) where an awarder is a Department of any Government, a Corporation, a public undertaking, a co-operative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust or a private or public limited company, an amount calculated at the rate as specified in column no.3 of the list given below shall be deducted by such awarder from each bill of payment to be made in any manner to such contractor and all the provisions of payment of tax provided in the Act or the rules made there under for contractors shall *mutatis mutandis* apply. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder before filing application, he shall enclose proof of payment/deduction of notified exemption fee on such payments, along with interest, if any, up to the date of filling of application, under this notification;

(ii) where the awarder is not covered under sub-clause (i) above, the contractor shall be required to make payment of exemption fee in equal monthly installments in a period not exceeding the period of contract from the date of filing of application. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder, he shall enclose proof of payment of notified exemption fee on such payment along with interest up to the date of filing of application, under this notification;

(iii) the amount already deducted by the awarder in lieu of tax from bills of payments to the dealer before the issuance of this notification shall be adjusted against the exemption fee;

(6) that the contractor shall not be entitled to claim input tax credit in respect of the goods used in execution of the works contract for which exemption certificate has been granted;

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25 %
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system.	1.50 %
3.	works contract relating to installation of plants & machinery including PSPO, water treatment plant, laying pipeline with material.	2.25 %
4.	Any other kind of works contract not covered by item No.1, 2 and 3.	3.00 %



लगातार.....9



10. उक्त अधिसूचना में तालिका के कॉलम संख्या 3 से भली-भांति स्पष्ट है कि इस हेतु कुल ठेका राशि पर विहित दर से मुक्ति शुल्क का भुगतान कर दिया जायेगा। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मुक्ति शुल्क का विकल्प लिये जाने पर प्रस्तुत आवेदन पत्र डब्ल्यू.टी.-1 के अंत में निम्नानुसार Undertaking दी जाती है :-

I/We hereby undertake that I/we shall abide by all the terms and conditions laid down by the State Government or any provisions of the Act or Rules made there under and if I /We fails to do so, I/We shall be liable to pay tax as per the provision of the Act.I/We also undertake to pay the revised exemption fee in case Exemption Certificate is revised.

I/We declare that the information given above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature of the applicant and his status

11. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय में संकर्म संविदा निष्पादन में माल सम्पत्ति हस्तान्तरण पर कर निर्धारण करने के लिये "पण्यावर्त" के निश्चयन के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया बनाम भारत सरकार (1989) 73 एस. टी.सी. 370 को Reproduce किया गया है। इसमें "पण्यावर्त" पर कर उद्ग्रहण का बिन्दु निर्णीत है। न्यायिक दृष्टान्त 23 टैक्स अपडेट पृष्ठ 22 का निर्णय टर्नओवर टैक्स से सम्बन्धित है। अपीलार्थीगण के प्रकरण मुक्ति शुल्क राशि के हैं। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथ्यात्मक भिन्नता के कारण कोई मदद प्रदान नहीं करते हैं।

12. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (2010) 29 वी. एस.टी. 62 (राज.) सी.टी.ओ. बनाम ब्रज कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स में व्यवस्था दी है कि -

"Held, that since the work contract in its entirety was covered by the exemption certificate issued by the competent authority to the dealer, the assessing authority could not have obviously imposed tax under section 5A of the Act treating it as purchases from unregistered dealers made within the State of Rajasthan. **The assessing authority could have only imposed exemption fee leviable on the works contract in question in accordance with the exemption certificate granted to the dealer.**"



लगातार.....10

13. हस्तगत प्रकरणों में आई.टी.सी. क्लेम के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (1961) 12 एस.टी.सी. 114 बालाकृष्ण चेटी एण्ड सन्स एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास में व्यवस्था दी है कि -

"The exemption under a licence granted to a dealer in cotton under section 5 of the Madras General Sales Tax Act, 1939, is conditional upon the observance of the conditions prescribed and upon the restrictions which are imposed by and under the Act or in the rules or in the licence itself. A licensee is therefore exempt from assessment as long as he conforms to the conditions of the licence and he is not entitled to exemption if the conditions upon which the licence is given are not fulfilled. **The use of the words "subject to" has reference to effectuating the intention of the law and the correct meaning is "conditional upon".**

14. माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने **T. H. Venkate Gowda V. Commissioner of Commercial Taxes in Karnataka, Bangalore** न्यायिक दृष्टान्त (2007) 5 वी.एस.टी. 553 (कर्नाटक) निर्णय दिनांक 07.07.2006 में निम्न व्यवस्था दी है :-

"Held, that an option is available to a dealer in the matter of permission to pay the amount under clause (i) of section 17(6) of the Act. The option saves the contractor from the botheration of book-keeping, assessment, appeals, etc. It provides a ready solution to the contractor. Having opted for section 17(6), it was now not open to the petitioner to bifurcate the contract and the tax thereon for the purpose of payment of tax. The dealer having voluntarily, and with the full knowledge of the features of the alternate method of taxation, opted to be governed by it, could not be heard to question subsequently the levy of tax by the authorities. The revisional authority after noticing the option under section 17(6) and after noticing the legal error committed by the assessing authority, had rightly chosen to review the assessment order on the ground of prejudice to the Revenue of the State."

15. इसी निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय स्टेट ऑफ केरला बनाम बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया (1997) 104 एस.टी.सी. 134 को उद्धरित किया गया है, जिसमें व्यवस्था दी है कि :-


".....The first feature to be noticed is that the alternate method of taxation provided by sub-section (7) of (7A) of section 7 is optional. The sub-sections expressly provide that the method of taxation provided thereunder is applicable only to a contractor who elects to

लगातार.....11



be governed by the said alternate method of taxation. There is no compulsion upon any contractor to opt for the method of taxation provided by sub-section (7) or sub section (7A). It is wholly within the choice and pleasure of the contractor. If he thinks it is beneficial for him to so opt, he will opt; otherwise, he will be governed by the normal method of taxation provided by section (5)(1)(iv). Sub-section (8) provides that the option to come under sub-section (7) or (7A) has to be exercised by the contractor 'either by an express provision in the agreement for the contract or by an application to the assessing authority, to permit him to pay the tax in accordance with any of the said sub-sections'. **In these circumstances, it is evident that a contractor who had not opted to this alternate method of taxation cannot complain against the said sub sections, for he is in no way affected by them. Nor can the contractor who has opted to the said alternate method of taxation, complain. Having voluntarily, and with the full knowledge of the features of the alternate method of taxation, opted to be governed by it, a contractor cannot be heard to question the validity of the relevant sub-sections or the rules... The impugned sub-sections have evolved a convenient, hassle-free and simple method of assessment just as the system of levy of entertainment tax on the gross collection capacity of the cinema theatres. By opting to this alternate method, the contractor saves himself the botheration of book-keeping, assessment, appeals and all that it means. It is not necessary to enquire and determine the extent or value of goods which have been transferred in the course of execution of a works contract, the rate applicable to them and so on. For example, under sub-section (7), the contractor pays two per cent of the total value of the contract by way of tax and he is done with all the abovementioned botheration. The rate of two per cent prescribed by sub-section (7) is far lower than the rates in First, econd and Fifth Schedules referred to in section 5(1)(iv)(a). In short, sub-section (7) and (7A) evolve a rough and ready method of assessment of tax and leave it to the contractor either to opt to it or be governed by the normal method. It is only an alternative method of ascertaining the tax payable, which may be availed of by a contractor if he thinks it advantageous to him... The Constitution does not preclude the Legislature from evolving such alternate, simplified and hassle-free method of assessment of tax payable, making it optional for the assessee. The object of sub-sections (7) and (7A) is the same as that of section 5(1)(iv); it is only that they follow a different route to arrive at the same destination of tax liability which may**

लगातार.....12



**sometimes be in the interest of both the Revenue and the assesseees.** It must also be remembered that in the field of taxation, the Legislature must be allowed greater 'play in the joints', as it is called."


16. उपरोक्त दी गयी व्यवस्थाओं के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि प्रश्मन का विकल्प लिये जाने के बाद अपीलार्थी व्यवहारीगण प्रश्मन से भिन्न करारोपण के तरीके से करारोपण की मांग करते हुए लेबर राशि को घटाने की मांग नहीं कर सकते हैं। प्रश्मन राशि सम्पूर्ण प्राप्तियों Total Receipts / Total Turnover पर विहित मुक्ति शुल्क की दर से ही मुक्ति शुल्क राशि देय होगी।

17. ठेका प्राप्तियां, जिन पर करमुक्ति शुल्क का भुगतान किया जाकर कर से मुक्ति का विकल्प लिया गया है, इस सम्बन्ध में व्यवहारी ने मुक्ति शुल्क प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र में इस आशय का undertaking स्वीकार किया है कि वह अधिसूचना की शर्तों की पालना करने में विफल रहने पर अधिनियम के अधीन विहित प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करेगा।

18. इसी प्रकार अपीलार्थी व्यवहारीगण इन्पुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने के लिये पात्र नहीं हैं। इस आशय की शर्त संख्या 6 अधिसूचना में विहित की गई है, जिसके विरुद्ध व्यवहारी दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि जिन ठेका प्राप्तियों पर मुक्ति शुल्क का भुगतान किया है, वह मुक्ति शुल्क का भुगतान इन्पुट टैक्स क्लेम नहीं करने की शर्त की पालना के आधार पर ही अनुज्ञेय है।

19. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ठेकेदारों को वैट-39 के जरिये चुकाई गई राशि के समायोजन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2426 / 2012 / भीलवाड़ा मैसर्स निर्माण कॉन्फेब प्रा. लि., शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2014 में निम्न निर्णय दिया गया है :-

"10. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से क्रय किये पत्थर व बजरी पर जमा कराई राशि जिसके संबंध में उसने वैट 07 भी प्रस्तुत किया है, अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत कर मुक्ति का विकल्प लेने वाले व्यवहारियों को आगत कर का समायोजन प्रतिबंधित है।



लगातार.....13

11. जहां तक क्रय की गयी बजरी व पत्थर विभाग के अधिकृत ठेकेदार को कर मुक्ति शुल्क चुका कर परिवहन की जाने वाले वाहनों से की गई है एवं तत्पश्चात् संविदा कार्यों में प्रयुक्त की गयी है परन्तु उक्त चुकाई गई राशि का समायोजन नहीं दिये जाने का प्रश्न है, विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है कि जब वह बजरी को परिवहन कर रहा था तो विभागीय ठेकेदार ने अपनी रसीद के माध्यम से कर वसूल कर लिया एवम् उक्त पर पुनः संविदा में प्रयुक्त करने पर उक्त राशि समायोजन योग्य है। रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से रसीद वैट 39 से प्रतिवाहन मुक्ति शुल्क जमा करवाया है। उक्त माल अपीलार्थी व्यवहारी के विक्रेता के लिये कर मुक्त है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8(3) के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-86 दिनांक 11.09.2006 के जरिये राज्य सरकार द्वारा उक्त आकस्मिक माल पर प्रति वाहन कर मुक्ति शुल्क का दायित्व निर्धारित किया गया है। इस प्रकार यह मान भी लिया जावे कि उसके खातों से मुक्ति शुल्क जमा हुआ है तो भी अपीलार्थी व्यवहारी ने केवल कर मुक्ति शुल्क तद्संबंधित संव्यवहारों पर जमा करवाया है। उक्त कर मुक्ति शुल्क अपीलार्थी व्यवहारी की देयता के विरुद्ध समायोजन योग्य नहीं है एवम् न ही अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में, इस पर आगत कर का मुजरा देय नहीं है। कर बोर्ड के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। फलस्वरूप, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर उक्त बिन्दु पर भी अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।”

20. माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा वैट-39 के जरिये चुकाई गई राशि का समायोजन अनुज्ञेय नहीं है। जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को जांच कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये गये हैं, तथा अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष कोई अपील अथवा क्रॉस ऑब्जेक्शन्स भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में इस पीठ के स्तर पर इस बिन्दु पर कोई निर्णय दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

21. वैट अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये माल का उपयोग संविदा कार्य में किये जाने तथा उक्त माल पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. क्लेम किये जाने के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त (2013) 37 टैक्स अपडेट 124 मैसर्स सिद्धी विनायक




लगातार.....14

कॉन्ट्रेक्टर, भीलवाड़ा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, भीलवाड़ा में स्पष्ट अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी से कोई संविदाकर्ता माल क्रय करता है और संविदा कार्य में प्रयुक्त करता है तो ऐसी विक्रय की गई वस्तुओं पर कर भुगतान का दायित्व अधिनियम के तहत क्रेता व्यवहारी संविदाकर्ता पर होगा, क्योंकि उक्त वस्तु का विक्रय 'डीमड सेल' की श्रेणी में आता है। ऐसे पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय की गई वस्तुओं पर वेट अधिनियम की धारा 18 के तहत आई.टी.सी. देय नहीं होगा। माननीय कर बोर्ड के उक्त न्यायिक दृष्टान्त से यह पीठ पूर्णतः सहमत है। ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर अपीलार्थीगण की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

22. वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें, अतः इस सम्बन्ध में भी अपीलीय आदेशों में किसी प्रकार त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय (1961) 12 एस.टी.सी. 114 बालाकृष्ण चेट्टी एण्ड सन्स एण्ड कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास; स्टेट ऑफ केरला बनाम बिल्डर्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया (1997) 104 एस.टी.सी. 134 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय (2010) 29 वी. एस.टी. 62 (राज.) सी.टी.ओ. बनाम ब्रज कंस्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियर्स के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि व्यवहारी ठेकेदार की सकल संविदा प्राप्तियां/टर्नओवर मुक्ति प्रमाण-पत्र से आच्छादित हैं। इन सकल प्राप्तियों/टर्नओवर पर अपीलार्थी व्यवहारीगण विहित दर से मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु दायी हैं। मुक्ति शुल्क भुगतान की गणना के लिये इन सकल संविदा प्राप्तियों/टर्नओवर में से मजदूरी राशि को नहीं घटाया जा सकता है तथा ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय हो सकता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत हैं।

24. अपील संख्या 193, 194, 196, 199, 200 व 203 / 2012 से सम्बन्धित प्रकरणों में अपीलार्थीगण द्वारा निष्पादित संविदा कार्यों में वेट चुकाकर की गयी खरीद में लाभांश व खर्च जोड़ते हुए अन्तर राशि पर किये गये अतिरिक्त करारोपण के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार करते हुए, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित



किये गये हैं कि अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः आदेश पारित किये जावें। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

25. परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारीगण की सभी अपीलें बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

26. निर्णय सुनाया गया।

dr. मनोहर पुरी  
25/03/2016  
( मनोहर पुरी )  
सदस्य